मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 4 फरवरी, 1999 (माघ 15, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) तृतीय संशोधन अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 4 सन् 1998) पटल पर रखेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1991-92 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1992 के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री आरिफ अकील, राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति , वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेअर हाऊसिंग कार्पोरेशन का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

5. राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदत्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, ईश्वरदास रोहाणी, बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले के दुधई पुल के पास सशस्त्र डकैतों द्वारा 6 युवकों के अपहरण की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मुंशीलाल, मुन्ना सिंह भदौरिया, सदस्य, चंबल संभाग के कृषकों को चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) विधेयक, 1999 (क्रमांक 1 सन् 1999) का पुरःस्थापन करेंगी.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

भोपाल :
दिनांक : 3 फरवरी, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा